

FRN No. 4074
12113

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2013 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 6.11.2013

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन / परिवर्तन किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	40/07	श्री जगदीश चन्द माहेश्वरी, निजी सहायक, कृषि निदेशालय, जयपुर।	16 / III / डी बहुमंजिला आवास गांधीनगर (14 / III / डी बहुमंजिला के स्थान पर)	31.5.2024
2	124/07	श्री जगदीश कुमार बंसल मेल नर्स-प्रथम, II इंचार्ज 3जी वार्ड सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	ई-26 गांधीनगर	30.9.2022
3	149/08	श्री ब्रह्म देव शर्मा लेखाकार, कोषालय, पेंशन राजस्थान जयपुर	III / 93, गांधीनगर	31.3.2026
4	49/09	श्री गोपाल सिंह पशुधन सहायक निष्क्रमण अनुभाग निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर	III / 102, गांधीनगर (III / 46, गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2025
5	59/09	श्री सुधीर कुमार जैन शीघ्र लिपिक कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता डीआईपीएम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	10 / III / सी बहुमंजिला, नगर	30.4.2028
6	65/09	श्री उत्तम सिंह, वरिष्ठ विधि सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विधि एन.वी.डी. स्कूल, सी-स्कीम, जयपुर	III / 97, गांधीनगर (III / 91, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2025
7	124/09	श्री कालूराम यादव प्रवक्ता राजकीय खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	"एक्स ब्लॉक एमआरईसी कैम्पस, गांधीनगर, जयपुर (III / 96, गांधीनगर के स्थान पर)	1.7.2041
8	1/2010	श्री प्रभुदयाल बैरवा अनुभागाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।	ई-921, गांधीनगर	30.6.2016
9	16/2010	श्रीमती गिशा शर्मा नर्स ग्रेड-II प्रभारी नर्सिंग बिरला कैंसर आउट डोर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	17 / III / सी बहुमंजिला गांधीनगर	30.6.2021

10	53/2010	श्रीमती नीता कृषि अधिकारी आई.पी.एम. प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर 5400/- 111/72, गांधीनगर पृष्ठ 403-405/सी	111/107, गांधीनगर (111/72, गांधीनगर के स्थान पर)	31.5.2037
11	63/2012	श्रीमती सरोज मीणा व्याख्याता(इतिहास) शहीद लै0 अग्रय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर जयपुर	15/71, मालवीयनगर	31.7.2036
12	107/2012	डॉ0 बल्लू लाल मीणा चिकित्सा अधिकारी पैथोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	15/7, मालवीयनगर	31.7.2040
13	126/2012	श्री अशोक कुमार शर्मा विधि रचनाकार विधि(विधि रचना) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	15/47, मालवीयनगर	30.9.2023
14	136/2012	डॉ0 बलवीर सिंह गुर्जर चिकित्सा अधिकारी सीएस पीजी बायोकेमेरिटी, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	15/68, मालवीयनगर	31.8.2038
15	66/2013	श्री विकास धनुर्वेदी उपपुस्तकालयाध्यक्ष राजस्थान विधान सभा जयपुर	ए-63, जवाहरनगर (ए-99, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.10.2026
16	103/2013	श्री सुरेश चन्द सैन नर्स ग्रेड प्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-17, जवाहरनगर	31.7.2017
17	104/2013	श्रीमती इन्द्रा माथुर अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वामी बस्ती, जयपुर	जीए/111/टी- 2/81 भूतल विद्याधरनगर (जीए/111/टी- 2/80 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.8.2026
18	113/2013	डॉ0 राजेश सी. शर्मा मेडिकल आफिसर सीएस पीजी फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर	ए-12, जवाहर नगर	31.7.2032
19	116/2013	श्रीमती रेणु बख्शी वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	ए-18, जवाहरनगर	31.12. 2032
20	120/2013	श्री हर्ष वर्धन सिंह कनिष्ठ वार्षिक कर अधिकारी वार्षिक कर विभाग जोन-111 जयपुर	जीए/111/टी- 2/37 विद्याधर नगर (जीए/111/टी-2/ 143 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.1.2040

21	124/2013	श्री आलोक चतुर्वेदी स्टेनो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर।	ए-150, जवाहरनगर	31.12. 2027
22	125/2013	डॉ० गजराज सिंह चिकित्सक सीएएस पीजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	ए-26, जवाहरनगर	31.1.2044
23	129/2013	श्री नेतराम वर्मा सहायक अभियन्ता कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड -III जयपुर।	ए-66, जवाहरनगर	31.10. 2029
24	133/2013	श्री सुरेश कुमार शर्मा निजी सचिव कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां प्र० का० सहकारिता विभाग, जयपुर।	ए-100, जवाहरनगर	31.5.2021
25	175/2013	श्री भारत सिंह भाटी सहायक अनुभागाधिकारी कार्यालय राज्यमंत्री गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।	जीए/III/टी- 2/38 विद्याधरनगर	30.6.2032
26	183/2013	श्रीमती कविता यादव वरिष्ठ प्रदर्शक (फिजियोलॉजी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	जीए/III/टी- 2/15 विद्याधरनगर	31.1.2039
27	184/2013	श्री निकेत कुमार पुलिस निरीक्षक (राज० पुलिस) सीआईडी (सीबी) रेंज सेल जयपुर।	जीए/III/टी- 2/78 विद्याधरनगर	31.5.2032
28	190/2013	श्री मुकेश सांखला नर्स ग्रेड -II चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजकीय हॉस्पिटल गणगौरी बाजार, जयपुर।	जीए/III/टी- 2/94 विद्याधरनगर	31.7.2043
29	194/2013	श्री चन्द गुरियां कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निगम विभाग, राजस्थान, जयपुर।	जीए/III/टी- 2/96 विद्याधरनगर	31.8.2024
30	195/2013	श्री महेश चन्द शर्मा कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	ए-145, जवाहरनगर	30.6.2021
31	199/2013	श्री राम अवतार वाहन चालक कार्मिक ख-3/विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/III/टी- 2/121 विद्याधरनगर	31.8.2019
32	204/2013	श्री दिनेश कुमार सुथार प्रवक्ता, कम्प्यूटर इंजिनियरिंग तकनीकी शिक्षा, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।	ए-157, जवाहरनगर	30.9.2035
33	206/2013	श्री नवीन प्रकाश गोडवाल वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा विभाग राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुलिस अकादमी, जयपुर।	जीए/III/टी- 2/141 विद्याधरनगर	31.10. 2032

34	207/2013	श्री प्रेमराज वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष शिक्षा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर, जयपुर।	ए-20, जवाहरनगर	28.2.2033
35	208/2013	श्रीमती पूनम यादव व्याख्याता (गृह विज्ञान) शिक्षा विभाग (माध्यमिक) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर, जयपुर।	ए-25, जवाहरनगर	30.4.2042
36	209/2013	श्री बादूजाल यादव वरिष्ठ लिपिक कार्यालय निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।	जीए/III/टी- 1/176 विद्याधरनगर	31.3.2029

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये व अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निर्ज आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रद्दीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभाग/अध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या -1, 5, 9, पर अंकित अधिवारियों से "कॉमन सुविधा" राशि रुपये 225/- (अक्षरों रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(Handwritten Signature)

(राजेन्द्र प्रसाद खोशानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सहायकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, राजस्थान, जयपुर।

6. नियंत्रक सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेन्शन विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विधि, एनवीडी स्कूल, सी-स्कीम, जयपुर।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
14. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, जयपुर।
15. प्रधानाचार्य, शहीद लैपिटनेण्ट अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
16. शासन उप सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. उप सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वामी बस्ती, जयपुर।
19. आयुक्त उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
20. आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
21. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जयपुर।
22. पंजीयक, सहकारिता विभाग, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर।
23. शासन उप सचिव कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (रिज संल) जयपुर।
25. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-प्रथम, जयपुर।
26. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
27. प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुलिस अकादमी, जयपुर।
28. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर, जयपुर।
29. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
30. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
31. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर गि0वि0निगम लि0 गांधीनगर/ मालवीयनगर/जवहरनगर/विद्याधरनगर जयपुर।
32. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
33. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर का भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
34. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
35. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
36. आवंटी अधिकारीगण -कृपया परिवर्तित राजकीय आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास रिक्त कर सूचित करावें।
37. संबंधित अधिकारीगण।
38. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (युप-5) विभाग।
39. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
40. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
41. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
42. रक्षित पत्रावली।


 (मुन्ना लाल शर्मा) 5/11/13
 शासन सहायक सचिव